



बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अंचल अधिकारी का कार्यालय

Sonpur, Saran

Duplicate Copy

17/03/2023

आदेश

जिला : Saran **अंचल :** Sonpur
दाखिल खारिज केस संख्या : 3567 **वित्तीय वर्ष :** 2022 - 2023

तिथि
 14-Mar-2023

आदेश पर की
 गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा खरीका, थाना सं० 82

खाता सं०	प्लॉट/खेसरा सं०	रकबा
313	468	0 एकड़, 3.533 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
BABU RAM LAGAN SINGH	पिता/बाप/अबू	BABU RAM DHAYAN SINGH

है। जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या- 3476, दिनांक- 20/06/1958 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
अशोक कुमार सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह
सुरेन्द्र कुमार सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह
उपेन्द्र कुमार सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह
राधाशरण सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह
नागेन्द्र कुमार सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रीय कर्मचारी / अं.नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। आपत्तिकर्ता के आपत्ति के आलोक में आवेदक से मूल दस्तावेज की मांग की गई जिसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया अतः इस आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है।

अतः वार्षिक लगान 25 रुपये अलावे सेस के साथ नामान्तरण **स्वीकृत** किया जाता है ।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है। ह0 कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें ।

Digitally Signed by :
VISHWAJEET SINGH
अंचलाधिकारी
Sonpur